न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 07 / 2020 (225 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2020 / 00028

उनवान

1. रामधन पुत्र भौरया माली निवासी कुतलपुरा मालीयान
2. बज्जीराम उर्फ बज्जी पुत्र कल्याण निवासी सत्यनारायण पाडा आलनपुर
3. मंगली पुत्री भौरया माली निवासी नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर
4. रमेश पुत्र केसरा माली
5. हंसराज पुत्र केसरा
6. बृजराज पुत्र केसरा
7. कमला पत्नि केसरा
8. बजरंगी पत्नि बृजमोहन माली निवासी कुतलपुरा मालीयान सवाई माधोपुर
9. रघुवीर पुत्र बृजमोहन निवासी कुतलपुरा मालीयान स0 मा0
10. भरत पुत्र बृजमोहन निवासी कुतलपुरा मालीयान
11. सुरेश पुत्र बृजमोहन नि0 कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला स0 मा0
12. रामरतन
13. राभजन
14. सीताराम

} पुत्रान सुन्दरा निवासी कुतलपुरा मालीयान जिला स0 मा0

15. सम्पत पत्नि छीतर नि0 धमून कलां
16. मीरा पत्नि बाबूलाल नि0 कुतलपुरा मालीयान
17. गणपत पत्नि गिर्राज माली नि0 श्यामपुरा
18. सीता पत्नि चिरंजी माली नि0 खवा तहसील स0मा0
19. जानकी पत्नि रामहेत नि0 आदर्श नगर बी स0 मा0

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. फईम खांन शमीम निवासी रणथम्भौर रोड विज्ञान नगर रामसिंह अस्पताल के पास सवाई माधोपुर।
2. छोटया पुत्र बज्जीराम माली निवासी सत्यनारायण पाडा आलपुर स0 मा0
3. रामजीलाल पुत्र बज्जीराम माली निवासी सत्यनारायण पाडा आलपुर स0 मा0
4. काली पत्नि कमलेश माली नि0 निवासी सत्यनारायण पाडा आलपुर स0 मा0
5. सीता पत्नि बाबूलाल माली नि0 श्यामपुरा तहसील व जिला स0 मा0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. अनोखी पुत्री बृजमोहन पत्नि हंसराज नि0 खवा तहसील व जिला स0 मा0
7. बर्मा पत्नि बाबूलाल नि0 हिन्दुपुरा तहसील बौंली जिला स0 मा0
8. काडी पत्नि रमेश माली नि0 छाण तहसील व जिला स0 मा0
9. गीता पत्नि शिवदयाल नि0 अल्लापुर तहसील खण्डार जिला स0 मा0
10. तहसीलदार जी सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्रीदासजी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

——:: निर्णय ::——

दिनांकः 31.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 10/2017 बउनवान फईम खान बनाम रामधन में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2019 के विरुद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नंबर 377 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम कुतलपुरा मालियान के पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण रामकरण पुत्र भौरयरा वगैरह की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 377 रकबा 0.35 है0 की पूर्व दिशा की ओर व खसरा नंबर 399 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 382/651 रकबा 0.08 है0 की भूमि आती है। अतः उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी किए जावे। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।
3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है जबकि प्रार्थी/रेस्पो0 उनके आराजी खसरा नंबर 377 मे आने जाने हेतु कदीमी समय से खसरा नंबर 383 , 388 ,289, 637 मे से आते जाते रहे है। अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

19.02.20 को हुई। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम भी अपील के साथ पेश किया जाकर अपील मियाद अन्दर शुमार करने का निवेदन किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटगण की बिना तामील करवाए, बिना सुनवाई का अवसर दिए ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जिसकी उन्हे सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर हुई एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. जवाब बहस प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण को निर्णय की जानकारी प्रारंभ से ही रही क्योंकि उनके अधिवक्ता पैरवी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तामीलो का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 रामधन पुत्र भौरया की "प्रतिस्थापित तामील" चस्पानगी द्वारा स्वयं तामीला कुनिन्दा द्वारा ही कर दी गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश 05 नियम 19 के तहत तामील कुनिन्दा की परीक्षा भी नही कर विधि विरूद्व तामील मानी जाकर रेस्पो0 संख्या 01 को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। इस प्रकार रेस्पो0/प्रार्थी संख्या 03, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18 की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट "अदम तामील" को भी अदालत मातहत द्वारा विधिवत तामील मानकर सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 13/5 की तामील ही जारी नही हुई हैं। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का कथन किया गया।
9. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देते हुए विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विधिपूर्वक निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

11. रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070–73 वाके ग्राम कुतलपुरा मालीयान के खसरा नंबर 377 रकबा 0.3500 है0 फईम खांन के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खसरा नंबर 399 रकबा 0.06 है0 व खसरा नंबर 382/651 रकबा 0.08 है0 रामधन पुत्र भौरया हिस्सा 1/6, धापू व मंगली पुत्रियां भौरया हिस्सा हि0 ब0 हि0 1/3 रमेश हंसराज बृजराज पिता केसरा, कमला बेवा केसरा हि0 ब0 हि0 1/6 रामरत्न रामभजन सियाराम पिता सुन्दरा, संपत मीरा पुत्रिया सुन्दरा हि0 ब0 हि0 1/6 बृजमोहन पुत्र बंशी, रंभो बेवा बंशी हिस्सा 1/6 जातियान माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रथमः– अदालत मातहत की आदेशिका व तामीलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 रामधन पुत्र भौरया की "प्रतिस्थापित तामील" चस्पानगी द्वारा स्वयं तामीला कुनिन्दा द्वारा ही कर दी गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश 05 नियम 19 के तहत तामील कुनिन्दा की परीक्षा भी नही कर विधि विरूद्व तामील मानी जाकर रेस्पो0 संख्या 01 को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। इस प्रकार रेस्पो0/प्रार्थी संख्या 03, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18 की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट "अदम तामील" को भी अदालत मातहत द्वारा विधिवत तामील मानकर सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 13/5 की तामील ही जारी नही हुई हैं। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश 05 जाब्ता दीवानी की प्रकिया का पालन नही कर अपीलांट/अप्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही पारित किया गया निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीयः– अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि मौका निरीक्षण की रिपोर्ट "फर्द मौका" व "नजरी नक्शा" के ही अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट को विधिपूर्वक माना जाकर निर्णय विधि विपरीत पारित किया गया है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत् नोटिस जारी किए जाते है, परन्तु अदालत मातहत की पत्रावली मे इस प्रकार के कोई नोटिस शामिल मिसल नही है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किए ही पारित निर्णय अपास्त योग्य है। इसी सिद्वान्त का प्रतिपादन **आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 403** पर किया गया है;

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251ए रास्ता प्रदान करना–दो शर्तो का विधमान होना आवश्यक है–विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आज्ञापक है–प्रार्थी की अनुपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की–रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है–मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई–यह दर्शाने हेतु सामग्री नही कि एस0डी0ओ0 (आलौच्य प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा) **ने मौका निरीक्षण किया– नियम 70 की अपालना–निर्णित, आदेश संवहनीय नही है व अपास्त किया तथा विधि अनुसार पुनः निर्णित करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तृतीयः– अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश मे इस तथ्य का विवेचन नही किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पो0 को अधिकतम चौडाई का ही रास्ता क्यों चाहिए ? कृषि साधनो/यंत्रो यथा ट्रेक्टर–ट्रॉली के चौडाई के अनुसार आवागमन हेतु 04 मीटर चौडा रास्ता ही पर्याप्त हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत के मुकदमा नंबर 10/2017 बउनवान फईम खान बनाम रामधन में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2019 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटगणों को विधिवत् सुनवाई का मौका देते हुए, काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के नियम 68–70 की पालना करते हुए, यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ते की चौडाई के निर्धारण मे "ज्यूडिशियल माइंड" को प्रयुक्त करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है आगामी सुनवाई के लिए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 31.08.23 को उपस्थित हो।

12. पत्रावली को फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावें। आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम सीना) 31/7/23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner